रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली

दिनांक 27.05.2021 को दोपहर 1.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

36

उपस्थित

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री के.एस.अहलूवालिया	माननीय अध्यक्ष, रे.दा.अधि./दिल्ली
2.	श्री सुनील माथुर	माननीय सदस्य (तकनीकी)
3.	श्री विजय कुमार	माननीय सदस्य (तकनीकी)
4.	श्रीमती आशिमा मेहरोत्रा	रजिस्ट्रार
5.	श्रीमती सारा जयाल साउक्मे	अपर रजिस्ट्रार
6.	श्री एन.एल.गांधी	माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव
7.	श्री देवेन्द्र भारद्वाज	मुख्य कार्यालय अधीक्षक
8.	श्रीमती सोनल बहल	कोर्ट मास्टर

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली के न्यायिक कामकाज के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के अनुदेशों का समय-समय पर अनुपालन किया जाता है। दिनांक 14.05.2021 के आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने ये निर्देश दिए थे कि दिल्ली में कोराना-19 की चिंताजनक स्थिति के कारण 15.05.2021 तक केवल तात्कालिक स्वरूप के मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी। इन आदेशों को 30.06.2021 तक बढ़ा दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 14.05.2021 के आदेशों के अनुपालन में रेल दावा अधिकरण, दिल्ली की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को पूर्व स्थगित करके 17.05.2021 से 28.05.2021 तक कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान एक सदस्यीय बैंच दिनांक 17.05.2021 से 21.05.2021 तक श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी) और दिनांक 24.05.2021 से 28.05.2021 तक श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी) की अध्यक्षता में लगाई गई थी। दिनांक 15.05.2021 को बार एसोसिएशन के साथ आयोजित पूर्व वर्चुअल बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि वर्चुअल सुनवाई को पुनः आरम्भ करने के संबंध में मई माह के अंत में दिल्ली पीठ की न्यायिक कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

इस संबंध में आज 27.5.2021 को वर्चुअल रूप से एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे पहले रजिस्ट्री द्वारा बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के विचारों का संज्ञान लिया गया था और बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य न्यायालय के कामकाज को पुनः आरम्भ करने के संबंध में पीठ के साथ वर्चुअल रूप से बैठक करने के इच्छुक थे।

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली के माननीय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए है:-

1. रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में वर्चुअल आधार पर न्यायिक सुनवाई को पुनः आरंभ करने के संबंध में बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ उनके विचार जानने के लिए 14.06.2021 को एक वर्चुअल विचार-विमर्श बैठक आयोजित की जाए।
2. तब तक, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशानुसार वर्चुअल तरीके से तात्कालीक किस्म के मामलों की सुनवाई की मौजूदा प्रणाली को 14 जून 2021 तक जारी रखा जाए।
3. इस बीच, तात्कालीक किस्म के मामले यदि कोई हो, की वर्चुअल आधार पर सुनवाई के लिए रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में एक सदस्यीय बैंच लगाई जाएगी।

   31 मई 2021 को आरंभ होने वाले पहले सप्ताह में श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी) की एक सदस्यीय बैंच, दूसरे सप्ताह में श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी) की एक सदस्यीय बैंच तथा तीसरे सप्ताह में माननीय अध्यक्ष महोदय की एक सदस्यीय बैंच लगेगी।
4. यदि इस बीच माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली कोई आदेश पारित करती है तो उनका अनुपालन किया जाएगा।

(आशिमा मेहरोत्रा)
रजिस्ट्रार
दिनांक 28.05.2021

सं. आरसीटी/दिल्ली/वीएम/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव-।। को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचना के लिए।
2. माननीय सदस्य (तकनीकी)-। के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना के लिए।
3. माननीय सदस्य (तकनीकी)-।। के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना के लिए।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
5. बार एसोसिएशन।
6. नोटिस बोर्ड।
7. कोर्ट मास्टर, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
8. रेल दावा अधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संबंधित कर्मचारी को।
9. रजिस्ट्री के कर्मचारी